

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसंचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे जा
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक
अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



ग्राम : घूनीवर्सिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसंचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:एफ/महा.वि.प./2011/ 3514

दिनांक: 30/07/11

// अधिसूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध अशासकीय महाविद्यालयों की शासी निकाय की समितियों में परिनियम 28(भाग-3) की धारा 6(1)(री) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19 मई, 2011 के पद क्रमांक (30) के (अ-अ-12) पर लिये गये निर्णयानुसार शासी निकाय में विश्वविद्यालय प्रतिनिधि मनोनीत किये जाते हैं :-

महाविद्यालय का नाम : राधाकृष्ण महाविद्यालय, ऊर्चिया, दतिया

मनोनीत सदस्य : 1. डॉ. मनेन्द्र सिंह सोलंकी, सदस्य, कार्यपरिषद्
2. डॉ. आर.ए. शर्मा, आचार्य, पुरातत्व अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर

उपरोक्त सदस्यता दो वर्ष तक प्रभावशील रहेगी।

अधिष्ठता
महाविद्यालयीन विकास परिषद

प्रतिलिपि:-

- सम्बन्धित प्रतिनिधियों की ओर सूचनार्थ।
- प्राचार्य, राधाकृष्ण महाविद्यालय, ऊर्चिया, दतिया की ओर भेजकर तत्काल प्रभाव से शासी निकाय में मनोनीत सदस्यों को सूचित करते हुये पत्र प्राप्त होने के एक माह की अवधि में प्रथम शासी निकाय की बैठक बुलाइ जावे। इस तरह कम से कम एक वर्ष में तीन बार शासी निकाय की बैठक होना अनिवार्य है तथा बैठक होने के तुरन्त बाद पूर्ण विवरण एक सप्ताह के अन्दर इस कार्यालय को प्रेषित करें तथा साथ में आपको यह भी सूचित किया जाता है कि मनोनीत सदस्यों को कॉलेज कोड 28 शिक्षण संस्थान अधिनियम 1978 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्गदर्शिका प्रथम बैठक के पूर्व में प्रदान करें।

शासी निकाय की बैठक में उपरियत होने वाले सदस्यों का ठी.ए./डी.ए. महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

अधिष्ठता
महाविद्यालयीन विकास परिषद

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उमस्त पत्र अवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाए व
हिं किसी अन्य प्राधिकरणी के नाम से।
सम्बोधित विषय पर यहि पूर्ण ने पत्र
व्यवहार कुप्र से ही पत्र क्रमक एवं दिनक
अवश्य लिखा जाए जिससे सुविधा हो।



ग्राम : शून्यवर्षी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्ट्र : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक-एफ/सम्बल्पता/2009/ 4556

दिनांक.....15/02/11

// सूचना //


जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध राष्ट्रकृष्ण वी.एड कॉलेज, झीविवा, सेबहा, ठातिया (09826230443) को
सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित वी.एड. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमी/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता देतु अनुशंसारे
प्रदान करने के लिये मानवीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम
1973 के परिवियम 27(10) के अन्वर्गत विन्नाबुसार विरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. जे.ए.ब. जौतम, आचार्य, पुस्तकालय विभाग अध्यायवशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442603)
- (2) प्रो. विरेक बापट, आचार्य, समाजकार्य एवं आजीवन शिक्षा अध्यायवशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।
- (3) डॉ. वी.ए.ल. यादव, आचार्य, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर।

विरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवियम 27/28 के प्रावधानों के अनुलेप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष विरीक्षण कर
शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक टर्में, यांत्रिक संस्था से प्राप्त अनुग्रह/अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिष्कार तथा
पाठ्यक्रम/आइडिनेश तथा प्रिछे सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण एवं दें तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं उशीक्षणिक टर्में दी
विरुद्धियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुसंहारे अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने
के 30 दिवस के अन्दर विरीक्षण समिति गंभीरक एवं सदर्यों से अन्यक ख्यापित कर विरीक्षण कराएँ। समिति संघीजक से बिवेदन है
कि वे उक्त विधायित समय में विरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन ०१ दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में भेजा करें। विरीक्षण प्रतिवेदन जमा
करने का उत्तराधित विरीक्षण समिति / संघीजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद विरीक्षण में की गई दैरी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। विरीक्षण सूचना
आयोजन, उच्च शिक्षा, भोपाल की भेजी जावेगी। यदि महाविद्यालय ०३ माह में विरीक्षण नहीं करता है तो यांत्रिक त्वरण विट्टत हो
जावेगी और पुनः विरीक्षण समिति गठन देतु महाविद्यालय को दण्ड रखन्ये का २५,०००/- रुपये करावे होंगे। तत्पश्चात् ती विरीक्षण
समिति का पुनर्बन्ध किया जावेगा। परिवियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए जाने को प्रवेश देव अवैधतिक है।

विरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शास्त्र में कार्यरत अधीक्षक / कार्यालय सहायक प्राक्तनी लेकर जायेंगे तथा महाविद्यालय की
पर्याप्तियों से विरीक्षण समिति को अद्यमत करायेंगे। विरीक्षण समिति के सदस्यों को दी.ए. / डी.ए. / मानदेव महाविद्यालय द्वारा देय
होगा।


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समरूप लदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संघीजक से संपर्क स्थापित कर विरीक्षण
दिनांक विधायित कर महाविद्यालय का विरीक्षण कराएँ। उक्त विरीक्षण १५ दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. अनुकूल उच्च शिक्षा, भारपुडा भवन, भोपाल
4. कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के दाविद / कुलसचिव के विजी भारतीय, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर


सहायक कुलसचिव (सम्बल्पता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

संबल पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाए न
कि किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा नाम से।
उच्चान्वित विषय पत्र यदि पूर्ण में पत्र
व्यवहार हुआ हो तो पत्र कमांक एवं दिनांक
आवश्यक लिखा जावे जिससे संविधा हो।



ग्राम : यूनीवरिटी
दूरभाष : (0751) 2341896
(0751) 2442829
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ ५९६८

दिनांक: १०.६.१२

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर द्वारा सम्बद्ध रायाकण महाविद्यालय, ऊर्मिया, दतिया को सत्र 2012-13 के लिये
प्रस्तावित/संचालित बी.एड. पाठ्यक्रम दक्षा/पाठ्यक्रमोंविषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसार्हे प्रदान करने के लिये
माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवियम
27(10) के अन्वर्गत नियमानुसार निर्दिष्ट समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. अशोक शर्मा, आवार्य, मुमाजिकार्य एवं आजीवन शिक्षा अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442630)
- (2) प्रो. आई.के. पात्रो, आवार्य, न्यूरो साइंस अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।
- (3) श्रीमती सुनीता तिवारी, व्या उत्ताता, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय, ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवियम 27/28 के प्रवाधनों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर
शुत्क, घोरहर राशि, यांचेक शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था द्वे प्राप्त अनुमति/अवाप्ति प्रगाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं
पाठ्यक्रम/आडिजेक्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति यथ प्रमाण पत्र के तथा प्रावार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की
नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसार्हे अंकित करें।

स्थायी समिति एवं कार्यपरिषद के ।नियानुसार वर्ष 2012-13 के सभी सम्बद्धता प्रकरण 30 जून, 2012 के पूर्व ही स्थायी
समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाए हैं। ना: समस्त समितियों के संयोजकों एवं ग्राहकियालयों के प्राचार्यों / संस्था के अध्यक्षों / सचिवों
का यह उत्तरदायित है कि वे अपने महाविद्यालयों का निरीक्षण विधायित अवधि से पूर्व ही अत्यावश्यक रूप से सम्पन्न कर लें। यदि
कोई भी महाविद्यालय निरीक्षण हेतु तिथि के विवरण के लिए इस अधिसूचना जारी होने के एन माह तक संयोजक से सम्पर्क नहीं
करता है तो संबंधित संयोजक स्वयं सार्विते के सदस्यों के साथ किसी भी दिन सम्बन्धित महाविद्यालय का निरीक्षण कर अपना प्रतिवेदन
विश्वविद्यालय कार्यालय को आवश्यक रूप से जना कर सकते हैं।

वर्ष 2012-13 के लिए सम्बद्धता तम्बनी किसी भी प्रकरण में 30 जून, 2012 के पश्चात् किसी भी समिति का प्रतिवेदन
स्वीकार नहीं किया जा सकेगा। ना ही ग्राहकियालयों के लिए पुनः समितियों के गठन सम्बन्धी आवेदन पत्रों को स्वीकार किया जा
सकेगा।

“निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता थाआ में कार्यकृत अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रावली लेकर जावेंगे तथा महाविद्यालय की
वस्तुस्थिति से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को ठी.ए. / ई.ए. / मानवेत्य महाविद्यालय द्वारा देय
होगा।”

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी दाव आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्रावार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण
दिनांक विधायित कर महाविद्यालय द्वा निरीक्षण करावें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के जेजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उप-कुलसचिव (सम्बद्धता)